RAJYA SABHA

Tuesday, the 27th February, 2001/8 Phalguna, 1922 (Saka)

The House met at eleven of the Clock,

MR. CHAIRMAN *in the Chair*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Implementation of recommendations made in the Third Report of the Expenditure Reforms Commission

*81. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) Whether the Government would consider the recommendations of the Expenditure Reforms Commission (ERC) made in its Third Report particularly on rationalisation of the structure of the Department of Economic Affairs; and

(b) if so, the details of the steps proposed to be taken to address the various recommendations mentioned in the Third Report of the ERC for strengthening our economic policies?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) Yes, Sir.

(b) The Third Report of the Expenditure Reforms Commission is under consideration of the Government.

श्री सतीश प्रधान: सभापति जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि गीताकृष्णन जी ऐसा बताते हैं:—It is said that the Report of the Geethakrishnan Committee would take care of the interests of both the farmers and the industry in the matter of rationalisation of fertiliser subsidy.

फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी चाहिए। सरकार कहती है कि अब सब्सिडी कम करनी है। हर जगह, जितनी जगह कम हो सकती है उतनी जगह कम करने की कोशिश कर रही है। ऐसी परिस्थिति में दोनों का रैशनलाइजेशन किस ढंग से करने का उन्होंने सुझाव दिया है और इसमें सरकार का क्या विचार है?

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति महोदय, थोड़ा इसमें एक भ्रम की स्थिति है जिसको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जो तीसरी रिपोर्ट है एक्सपेंडीचर रिफार्म्स कमीशन की वह डिपार्टमेंट आफ

इकोनामिक अफेयर्स की रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में है। जो दूसरी रिपोर्ट थी जिसके चार भाग थे, उसका जो पहला भाग था वह फर्टिलाइजर सब्सिडी से संबंधित था लेकिन तीसरी रिपोर्ट डिपार्टमेंट आफ इकोनामिक अफेयर्स से संबंधित है और चूंकि यह प्रश्न तीसरी रिपोर्ट के बारे में है इसलिए यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा जो माननीय सदस्य ने पूछा है।

MR. CHAIRMAN: This question does not arise out of it.

श्री सतीश प्रधान: सभापति महोदय, थर्ड रिपोर्ट में जो सुझाव आए हैं, क्या उन्होंने सुझाव दिए हैं इस विषय पर तो जानकारी दीजिए।

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति महोदय, एक्सपेंडीचर रिफार्म्स कमीशन की जितनी रिपोर्ट्स हैं उसमें हम लोगों ने व्यवस्था यह की है उनके साथ कि वे रिपोर्ट जैसे ही मुझे समर्पित करते हैं उसके तत्काल बाद उसे हम वेब साइट पर सार्वजनिक सूचना के लिए रख देते हैं और इसलिए ये जितनी रिपोर्टस आई हैं वे आज सार्वजनिक हैं। उसमें कहीं भी कोई गोपनीय बात नहीं है। जैसे मैं कह रहा था, यह जो तीसरी रिपोर्ट है यह वित्त मंत्रलय का जो आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग है उसके बारे में है। उसमें उन्होंने कई सुझाव दिए हैं जिसमें कई स्तर पर उन्होंने जो पदाधिकारी या कर्मचारी हैं उनकी संख्या में कमी करने का सुझाव दिया है। जो कामकाज होता है डिपार्टमेंट आफ इकोनामिक अफेयर्स में उसको और हम कैसे ज्यादा इफीशियंसी के साथ चला सकते हैं इसके बारे में अपनी टिप्पणी दी है। मेरे पास उसका पूरा डिटेल है। आप कहें तो मैं उसको यहां पर पढ़ दूं या चूंकि यह सार्वजनिक ज्ञान में है इसलिए उसमें विस्तृत रूप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन संक्षेप में मैं यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी लेवल के तीन पदों को कम करने की सिफारिश की है, ज्वायंट सेक्रेटरी लेवल पर उन्होंने दो पदों को कम करने की सिफारिश की है। उसी तरह से डायरेक्टर लेवल पर उन्होंने कई पदों को कम करने की सिफारिश की है। नेशनल सेविंग्ज ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके बारे में भी उनकी सिफारिश है कि उसके आकार को कैसे कम कर सकते हैं। इंडिया इन्वेस्टमेंट सेंटर के बारे में उनकी सिफारिश है कि उसमें कैसे हम कमी ला सकते हैं। मिन्ट्स और प्रेसेस के बारे में उनकी सिफारिश है। इस तरह से पूरे विभाग के बारे में उनकी सिफारिश है। इकोनोमिक डिवीजन जिसके चीफ इकोनोमिक एडवाइजर, शीर्षस्थ पदाधिकारी होते हैं, उसके बारे में सिफारिशें हैं। इस तरह से पूरे आर्थिक मामलों के विभाग के बारे में उन्होंने काफी विस्तार से अपनी सिफारिशें दी हैं।

SHRIMATI SHABANA AZMI: Sir, I need one clarification on a point in the Geethakrishnan Report. I am particularly referring that because, amongst many things, they have felt the need to rationalise

the Ministry of Information and Broadcasting, and have put down, जैसा कि फिल्म्ज डिवीजन बंद हो जाना चाहिए, एनएफडीसी बंद हो जाना चाहिए। फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में मुझे ज्यादा दिक्कत सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने इसको सिर्फ एक्सपेंडीचर के तौर से देखा है, लेकिन इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है कि people from the world of cinema, people from the field of arts, how they have to be benefited from that. So, we are very concerned about the response of your Ministry with regard to the Geetakrishnan Report.

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, in the third part of the second report of the Expenditure Reforms Commission headed by Shri Geetakrishnan, it had given its recommendations regarding rationalisation of the functions, activities and structure of the Ministry of Information and Broadcasting. As I was mentioning a little while earlier, Sir, in making the recommendations, the Expenditure Reforms Commission is not merely looking into, necessarily, reducing the number of posts. I think, the primary concern of the Commission is to ensure how the Government can perform its various functions in a more proficient and speedier fashion. That is the primary concern and part of the terms of recommendations of the Commission. So, while the hon. Member may have some concern with regard to the recommendations of the Commission in relation to the Ministry of Information and Broadcasting, my reply will be that the Government would take into account all aspects when it looks into the report and acts upon it.

श्री संतोष बागड़ोदिया: चेयरमैन सर, मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट कब मिली और कब तक इसका निर्णय आगे बढ़ेगा, क्योंकि यह डिपार्टमेंट ही ऐसा है जो पूरे हिन्दुस्तान के गवर्नमेंट्स का, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स का खर्चा हैंडल करता है। अब इसी डिपार्टमेंट को अगर एक उदाहरण के तौर पर सैट किया जाए कि इस डिपार्टमेंट में खर्चा कम किया गया है तो प्रोबैब्ली आपकी मिनिस्ट्री से आप दूसरे डिपार्टमेंट्स को बोल सकते हैं। अगर आप इसका खर्चा कम न करें और सब को बोलते रहें तो काम बनने का नहीं है। इसलिए कब तक आप इस रिपोर्ट पर निर्णय लेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं और आज मैं इस सदन में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कल मैं बजट पेश करने वाला हूं, कृपया उसका इंतज़ार कीजिए।

SHRI K. RAMA MOHANA RAO: I would like to know whether it is true that the Expenditure Reforms Commission has also recommended reduction in the retirement age of the Central Government employees from 60 to 58 years; if yes, the details of such recommendations and what action the Government have contemplated on the particular recommendation; if there is no such recommendation, then, I would like to know from the hon. Minister whether there is any proposal before the Minister to reduce the retirement age of the Central Government employees from 60 to 58 years.

If 'yes', I would like to know the details of such proposals and the action the Government is going to take thereon. Will the hon. Minister consider reducing the entry age to Government service to 26 years, once there is reduction in the retirement age?

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, the Expenditure Reforms Commission has not yet made such a recommendation. As far as the other part of the question is concerned, I am constrained today in replying to it, as I said, because of what is going to happen tomorrow.

श्री संघ प्रिय गौतम: सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने प्रारम्भ में इस कमीशन की रिपोर्ट का जो मंतव्य बताया है कि काम-काज और ऐफिशिएंसी को बढ़ावा देना इसका जिस्ट है, तो मैं ऐफिशिएंसी के मायने जानना चाहूंगा कि इसके मायने क्या हैं? To my mind, efficiency means a responsible and responsive service to the people उसका कोई मतलब घटाव-बढ़ाव या ऐम्पलाइज़ की संख्या से नहीं है। This has been held by the Supreme Court in its various judgments. अब यहां बहुत से ऐसे आफिसर्स हैं they are not responsible and they are not responsive to the people. और बहुत से गलत काम हो रहे हैं और उनका कुप्रभाव पड़ रहा है। मैं एक तो इस विषय में जानना चाहूंगा कि वे डिफाइन कर दें कि what he means by efficiency.

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि हमारी सरकार की गारंटी है कि हम देश के लोगों को रोज़गार देंगे। तो यह जो रिडक्शन हो रहा है इससे लोग बेरोज़गार होंगे और हर जगह हो रहे हैं, इनको रोज़गार कैसे मिलेगा?

श्री दीपांकर मुखर्जी: वी०आर०एस० से।

श्री संघ प्रिय गौतम: आप लोगों में एक बीमारी है, एक बीमारी लगी हुई है कि आप

हमेशा इंटरवीन करेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप रोज़गार कैसे देंगे और जो काम-काज की बात आपने कही है, क्या उन्होंने यह सिफारिश की है कि कोई ऐसा काम-काज देंगे जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा?

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कार्यकुशलता की परिभाषा रखी है, उस पर किसी को कोई ऐतराज़ नहीं हो सकता, मुझे भी नहीं है।

श्री बालकवि बैरागी: वे आपसे परिभाषा पूछ रहे है।

श्री यशवंत सिन्हा: उन्होंने परिभाषा दे दी, पूछने के साथ-साथ उन्होंने उत्तर भी दे दिया और मैं उस उत्तर से सहमत हो रहा हूं और साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार के कुछ विभाग ऐसे हैं जिनका एक पब्लिक इंटरफेस है, वे आम लोगों के सम्पर्क में आते हैं और वहां पर उनकी कार्यकुशलता का जनता की जो राय है सरकार के बारे में, उस पर एक खासा प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ विभाग ऐसे भी हैं जो जनता के सम्पर्क में सीधे नहीं आते हैं, ऐसे विभागों में भी कार्यकुशलता की आवश्यकता है और वहां पर मेरा यह मानना है कि कार्यकुशलता का यह मतलब है कि जो काम-काज उनके जिम्मे आएं, उनका शीघ्रातिशीघ्र पूरी कुशलता के साथ निबटारा हो, यह कार्यकुशलता होगी।

जहां तक रोज़गार के अवसरों का सवाल है, इस बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमने 1999 के अपने बजट भाषण में एक ऐक्सपेंडिचर रिफार्म कमीशन बनाने की बात की थी। हमारे पहले एक पूर्ववर्ती मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, उन्होंने भी एक ऐक्सपेंडिचर कमीशन की बात की थी लेकिन कई कारणों से वह कमीशन बन नहीं पाया। मैंने इस कमीशन को बनाया है, इस कमीशन को अधिकार दिए हैं। वह कमीशन सारे मंत्रालयों के काम-काज को देखकर अपनी सिफारिश कर रहा है और मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज चारों तरफ जो एक बड़ी चर्चा का विषय है, वह यह है कि सरकार आम लोगों की सेवा के लिए है, सरकार सिर्फ अपनी सेवा के लिए नहीं है और इसलिए सरकार का आकार ऐसा होना चाहिए, सरकार का कार्यकलाप ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है, उसको निभाने में हम सफल हो सकें। सिर्फ अपनी बात हम देखते रहें, केवल यह सरकार का परम दायित्व नहीं है। इसलिए अगर यह होगा तो हो सकता है कि कुछ लोग सरप्लस हो जाएं लेकिन इससे पूरी अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और पूरी अर्थव्यवस्था को जब लाभ होगा तो रोजगार के अन्य अवसर निश्चित रूप से हमारे देश में उपलब्ध होंगे।

DR. (SMT.) JOYASREE GOSWAMI MAHANTA: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether there is any special provision suggested by the Expenditure Reforms Commission for the

under-developed and economically backward States, hill States, flood-affected States, or extremist-torn States, like Assam, Jammu & Kashmir, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Arunachal Pradesh and other North-Eastern States for the upliftment of those States. If 'yes', what are the those? If not, I would suggest to the Government to look into this matter sympathetically so that these States can get some special incentives.

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, I am afraid, the issue which has been raised by the hon. Member is not part of the terms of reference of this Commission. This Commission is required to look at the structure of the Government of India and certain related expenditure issues. This is another issue, which the Government of India, in its wisdom, decides from time to time. The Expenditure Commission, I am afraid, will not deal with this subject.

श्री सी० एम० इब्राहीम: इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आपने सरकारी कर्मचारियों को तो रखा है लेकिन मंत्रिमंडल का खर्चा किस तरह से कम हो सकता है, ऐक्सपैंडिचर रिफॉर्म्स कमीशन से आप क्या इस बारे में सलाह ले सकते हैं, यह मैं जानना चाहता हूं। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि पहले जहां 3-3 मंत्री होते थे, अब उस विभाग के लिए 4-4 मंत्रियों को रखा जा रहा है। एक मंत्री रखने से 100 पोस्ट्स बढ़ जाती हैं और एक मंत्री हटाने से 100 पोस्ट्स घट जाती हैं। क्या आप ऐक्सपैंडिचर रिफॉर्म्स कमीशन के दायरे में मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या कितनी हो और किस-किस विभाग के लिए कितने मंत्री रखे जाएं, क्या यह भी उसमें इन्क्लूड करेंगे?

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति महोदय, मंत्रिमडल का आकार क्या होगा, यह ऐक्सपैंडिचर रिफॉर्म्स कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में उसी प्रकार नहीं आता जिस प्रकार सांसदों को कितनी सुविधाएं मिलेंगी, यह इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, we are aware of the concerns leading to the establishment of this reforms commission, unless a timebound programme on reducing the load of establishment cost is chalked out, the report of this Commission would also go to the dustbin, as the report of other commissions. Therefore, my question is two-fold — (a) does the Government contemplate to having a time-bound programme to reduce the establishment cost of

the Government? Obviously, this would involve reaching a consensus with the State Government. (b) Does the Government have a proposal in that direction also?

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, my short answer to this question is 'yes'.

DR. DASARI NARAYANA RAO: Sir, the ERC is taking a lot of care to reduce the expenditure. I am very happy about it. But, through you, Sir, I would like to put a question whether the Minister is aware that there is wastage of nearly Rs. 200 crores in the Films Division which is under the Ministry of Information & Broadcasting. Have you taken care to eradicate it?

SHRI YASHWANT SINHA: I think, the earlier question of the hon. Member, Shrimati Shabana Azmi, was also in relation to this. I have already replied to it. There are recommendations of the Expenditure Reforms Commission relating to the Ministry of Information & Broadcasting, which are also under the consideration of the Government.

Maintenance of monuments in Karnataka

*82. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of TOURISM AND CULTURE be pleased to state:

(a) The amount provided for maintenance of monuments in the State of Karnataka during the last three years;

(b) Whether the amount provided was found adequate for the purpose; and

(c) If not, the additional amount provided?

THE MINISTER OF TOURISM AND CULTURE (SHRI ANANTH KUMAR): (a) The expenditure incurred on the maintenance, conservation, preservation and environmental development of the centrally protected monuments in Karnataka in the last three years is as under:

1997-98	Rs. 167.44 lakhs
1998-99	Rs. 171.12 lakhs
1999-2000	Rs. 252.12 lakhs